

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर


(प्लॉट नं. - 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक: पैरामेडि.कौं/मान्यता/ 2019/820

दिनांक: 26-04-19

--:आदेश:-

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की बैठक दिनांक 12.04.2019 में लिये गये निर्णयानुसार राज्य में नवीन निजी पैरामेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं दी जायेगी।



(सोमदत्त दीक्षित)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांक: पैरामेडि.कौं/मान्यता/ 2019/820

दिनांक: 26-04-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. शासन सचिव, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
6. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजस्थान को पालनार्थ।
8. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
9. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षित पत्रावली।


रजिस्ट्रार